

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 136

रिपोर्ट पटवारी पटवारी तहसील बारापाल जिला उदयपुर

सेवा में,

श्रीमान् भू-अभिलेख महोदय जी,

भू-अभिलेख वृत्त पटवारी

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अनुसार ग्राम गा.व.व. की खाता संख्या 7 में प्रार्थी का नाम ला.ल. पु. पेमा दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम ला.ल. पु. पेमा दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम गा.व.व. की खाता संख्या 7 में दर्ज नाम ला.ल. के स्थान पर सही इन्द्राज ला.ल. पु. पेमा दर्ज किया जाना उचित है।

पटवारी
पटवारी
पटवार मण्डल पटवारी

तहसील पटवारी जि.-उदयपुर (राज.)

भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पटवारी तहसील बारापाल जिला उदयपुर

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय जी,

तहसील बारापाल ।

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेज एवं गवाहों के बयान अनुसार ग्राम गा.व.व. की जमाबन्दी की खाता संख्या 7 में दर्ज नाम ला.ल. पु. पेमा के स्थान पर सही नाम ला.ल. पु. पेमा दर्ज किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक शाक्य
04/10/25

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बारापाल जिला उदयपुर

दिनांक 04/10/2025

क्रमांक :

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय जी,

उपखण्ड गिर्वा

विषय :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना एवं पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम गा.व.व. की जमाबन्दी की खाता संख्या 7 में दर्ज नाम/इन्द्राज ला.ल. पु. पेमा के स्थान पर सही नाम/इन्द्राज ला.ल. पु. पेमा दर्ज करने की अनुषंशा की जाती है।

तहसीलदार
बारापाल, जिला पटवारी (राज.)